मुकदमा नम्बर 72/2018
जगमाल बनाम मातादीन आदि
निर्णय दिनांक – 17/12/20

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- जीतू कुलहरी आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 72 /2018
GCMS NO. – 2019/00956

1. जगमाल पुत्र स्व. मान उम्र 75 साल जाति अहीर निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. रामजीलाल पुत्र स्व. मान उम्र 72 साल जाति अहीर निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)

......वादीगण

– बनाम –

1. मातादीन पुत्र स्व. मान जाति अहीर निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.) (फौत)
   1/1 कमला देवी पत्नी मातादीन,
   1/2 सुबेसिंह पुत्र मातादीन,
   1/3 शेरसिंह पुत्र मातादीन,
   1/4 संतोष पुत्री मातादीन,
   1/5 कबुल पुत्री मातादीन,
   1/6 बिमला पुत्री मातादीन,
   समस्त जाति अहीर निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
2. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक जरिए शांखा प्रबंधक शाखा सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बुहाना।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

<u>दावा –खाता विभाजनएवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

–: निर्णय :–

दिनांक – 17/12/20

वादीगण की ओर से हस्तगत वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन इन तथ्यों के साथ पेश किया गया है कि ग्राम सागा स्थित भूमि खसरा नम्बर [illegible] रकबा 1.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 458 रकबा [illegible]32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 467/322 रकबा 0.28 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 2.64 हैक्टेयर के खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 हैं तथा गांव सिवनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 1.00, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 145 रकबा 1.04 हैक्टेयर किता 3 रकबा 2.44 हैक्टेयर के खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 है। इस प्रकार इस भूमि में 2/3 हिस्सा वादीगण का एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है। जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है लेकिन कब्जा एवं हिस्सा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.01.22 14:01:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

मुकदमा नम्बर 72/2018
जगमाल बनाम मातादीन आदि
निर्णय दिनांक – 17/12/20

अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बाहमी बंटवारे में खेतों को बांटकर कास्त करते है। खाता संयुक्त रहने से वादीगण को अपनी भूमि में सुधार कार्य करने एवं पशुओं से सुरक्षा करने में सुविधा हो जाये इसलिए वे अपने हिस्से का विभाजन करवाना चाहते हैं तथा बिना विभाजन के प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से की भूमि को बेंच देता है तो वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी तथा वादी संख्या 1 अविवाहित है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा मानकर गलत तरीके से विक्रय पत्र तस्दीक करवाना चाहता है। अंत में वाद वर्णित भूमि में अपना 2/3 हिस्सा का खाता विभाजन करवाने का अनुतोष चाहा।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल होकर प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/6 की ओर से श्री राजेश कुमार यादव अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 (मातादीन) की ओर से दिनांक 03.10.2019 को जबाब पेश किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ने निवेदन किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर प्रस्तुत जबाब को ही प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/6 मानते हुए विभाजन करने की कृपा करे। प्रतिवादी संख्या का जबाव निम्नानुसार रहा–

प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश किया व बाहमी बंटवारा होना स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में गांव सागा स्थित भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 0.32 हैक्टेयर एवं गांव सिवनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 1.00 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 82 रकबा 0.40 हैक्टेयर किता 3 रकबा 1.72 हैक्टेयर होना बताकर काबिज होना कथन किया तथा वादीगण का गांव सिवनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 145 में 25 वर्ष पुराना कुआं होना व उसमें वादीगण द्वारा विद्युत संयोजन लेना तथा इसमें दो अलग अलग पुख्ता मकान बनाना कथन करते हुए गांव सागा स्थित भूमि खसरा नम्बर 9, 393, 467/422 पर वादीगण का कब्जा होना कथन किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का गांव सागा व सिवनी की कुल भूमि 5.08 हैक्टेयर में 1/3 हिस्से के अनुसार 1.72 हैक्टेयर रकबा होना कथन करते हुए पक्षकारों द्वारा जोतों के टूकड़े किए बिना पूरे के पूरे खसरा नम्बर का मौके पर विभाजित होना कथन किया एवं अंत में अपने 1/3 हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने एवं विभाजन में गांव सागा स्थित भूमि खसरा नम्बर 458 एवं गांव सिवनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 35 व 82 किता 3 रकबा 1.72 हैक्टेयर रकबा दिये जाने को प्राथमिकता देने का निवेदन किया। दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने पर उसके वारिसान को पक्षकार बनाया गया, जिनकी ओर से प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

वादीगण की ओर साक्ष्य दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2070-73 खाता संख्या 43 (ग्राम सिवनी), जमाबंदी संवत 2072-75 खाता संख्या 90 (ग्राम सागा) पेश किए गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kumari
Date: 2021.01.22 14:01:21 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षों द्वारा मौके पर कब्जे एवं हिस्से के अनुसार खाता विभाजन हेतु सहमति दी गई। इसलिए दोनों पक्षों की सहमति से उनके हिस्से एवं कब्जे अनुसार खाता विभाजित किया जाना उचित पाता है। चूंकि पक्षकार मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन करवाने पर सहमत हैं। वादीगण का 2/3 हिस्सा है, जिसके अनुसार उनके हिस्से में 3.39 हैक्टेयर आता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 1.69 हैक्टेयर रकबा आता है। पक्षकारन में मौके पर सम्पूर्ण जोतों को बांट रखा है तथा किसी भी जोत के टूकड़े नहीं किए हैं। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

मण्डल) नियम 1955 के नियम 19 के अनुसार वाद के लम्बित रहने के दौरान भूमि के सहअभिधारी किसी करार (समझौता) पर आते हैं तो उस वाद को उस करार की शर्तो के अनुसार डिक्री किया जाएगा तथा नियम 20 (घ) के अनुसार जहां तक संभव है विद्यमान जोतों के टूंकड़े नहीं किए जाएगें। इस प्रकार पक्षकारान इस बात पर सहमत है कि उनका मौके पर कब्जे एवं हिस्से के अनुसार विभाजन कर दिया जावे। मुताबिक अभिवचनों के दोनों पक्षों ने भूमि का मौके पर विभाजन कर अलग-अलग काश्त करना बताया है। इसलिए उक्त भूमि का मौके पर कब्जे के अनुसार एवं पक्षकारों की सहमति एवं स्वीकृति के अनुसार विभाजित किए जाने योग्य है। चुंकि पक्षकरों ने मौके पर अलग-अलग भूमि के खसरा नम्बर बताये हैं। अतः न्यायालय वाद में प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है एवं दावा अंतिम रूप से डिक्री किए जाने योग्य पाता है।

-: आदेश :-

न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादी डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/6 का खाता इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि वादीगण को विभाजन में ग्राम सागा स्थित भूमि खसरा नम्बरं 9 रकबा 1.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 467/322 रकबा 0.28 हैक्टेयर किता 3 रकबा 2.32 हैक्टेयर तथा गांव सिवनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 1.04 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.36 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/6 को गांव सागा स्थित भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 0.32 हैक्टेयर तथा ग्राम सिवनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 1.00 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 82 रकबा 0.40 हैक्टेयर किता 3 रकबा 1.72 हैक्टेयर विभाजन में दिए जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त भूमि का नियमानुसार लगान कायम करे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। इसी अनुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी ★ जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 17|12|20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.01.22 14:01:27 IST
Reason: SelfAttested

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

मुकदमा नम्बर 72/2018
जगमाल बनाम मातादीन आदि
निर्णय दिनांक – 17/12/20

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- जीतू कुलहरी आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्याः 72/2018
निर्णय दिनांकः 17/12/20

जगमाल आदि **बनाम** मातादीन आदि

दावा – खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से श्री **रामस्वरूप यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी स. 1/1 लगायत 1/5 की ओर से श्री **राजेश यादव एडवाकेट** उपस्थिति आये । इस वाद में आज तारीख 17/12/20 को **सुश्री जीतू कुलहरी** **उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिक्री दी जाती हैं :-

" न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादी डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/6 का खाता इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि वादीगण को विभाजन में ग्राम सागा स्थित भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 1.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 467/322 रकबा 0.28 हैक्टेयर किता 3 रकबा 2.32 हैक्टेयर तथा गांव सिवनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 1.04 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.36 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/6 को गांव सागा स्थित भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 0.32 हैक्टेयर तथा ग्राम सिवनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 1.00 हैंक्टेयर एवं खसरा नम्बर 82 रकबा 0.40 हैक्टेयर किता 3 रकबा 1.72 हैक्टेयर विभाजन में दिए जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त भूमि का नियमानुसार लगान कायम करे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। "

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

निर्णय आज दिनांक 17/12/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.01.22 14:01:27 IST
Reason: SelfAttested

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना